

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA]

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health and Family Welfare)

Nirman Bhavan New Delhi
Dated the 7th September, 2010.

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the said First Schedule against "Dr. NTR University of Health Sciences, Vijaywada, Andhra Pradesh" under the heading 'Recognized Medical Qualification' [in column (2)] and under the heading 'Abbreviation for Registration'[in column (3)], the following shall be inserted, namely:-

(2)

(3)

Bachelor of Medicine and
Bachelor of Surgery

M.B.B.S.

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Dr. NTR University of Health Sciences, Vijaywada, Andhra Pradesh on or after March 2010 in respect of students trained at Konaseema Institute of Medical Sciences & Research Foundation, Amalapuram, Andhra Pradesh)

[No. U.12012/88/2004-ME(P-II)]

Anita Tripathi
7/9/2010
(Anita Tripathi)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The General Manager,
Government of India Press
Mayapuri, Ring Road
New Delhi

Copy to:-

1. The Secretary, Medical Council of India, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, New Delhi-110 075.
2. Dte. Genl. of Health Services, (ME Section)/CHS-V Section
3. All State Governments/UTs
4. All Universities (Having medical faculties)
5. All the State Medical Councils
6. The Principal, Konaseema Institute of Medical Sciences & Research Foundation, NH-214, Chaitanya Nagar, East Godavari District, Amalapuram Andhra Pradesh.
7. The Registrar, Dr. NTR University of Health Sciences, Vijaywada, Andhra Pradesh.
8. The Secretary, Health & Medical Education Department, Government of Andhra Pradesh, A.P. Secretariat, Hyderabad, Andhra Pradesh.
9. ADG(ME)/DDG(M).

Tripathi
7/9/2010

(Anita Tripathi)

Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 7/11/2004

अधिसूचना

सा.आ..... भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करके, संबद्ध विश्वविद्यालयों के नाम में परिवर्तन के कारण उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामतः

उक्त प्रथम अनुसूची में मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता शीर्षक (इसके बाद कालम (2) के रूप में निर्दिष्ट) के अन्तर्गत "डा. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश" के प्रति पंजीकरण के लिए संक्षिप्त रूप (इसके बाद कालम (3) के रूप में निर्दिष्ट) शीर्षक के अंतर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः-

मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त रूप
(2)	(3)
बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी	एमबीबीएस
	(कोनासीमा आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान फाउन्डेशन, अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में डा. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश द्वारा मार्च, 2010 में या इसके बाद प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता मान्यताप्राप्त मानी जाएगी)।

[संख्या यू. 12012/88/2004-एमई(पी. 11)]

अनिका त्रिपाठी
(अनिता त्रिपाठी)


अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

महा प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पाकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
2. स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, (एम६ अनुभाग)/सीचएचएस-V अनुभाग।
3. सभी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश।
4. सभी विश्वविद्यालय (चिकित्सा संकाय वाले)।
5. समस्त राज्य चिकित्सा परिषदें।
6. प्रधानाचार्य, क्रोनासीमा आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान फाउन्डेशन, एनएच-214, चैतन्य नगर, पूर्वी गोदावरी जिला, अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश।
7. रजिस्ट्रार, डा. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश।
8. सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए.पी. सचिवालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
9. एडीजी (एमई)/डीडीजी (एम)।



(अनिता त्रिपाठी)

अवर सचिव, भारत सरकार